संख्या-16/2015/880/60-2-15-2/13(57)/03 टी.सी.

प्रेषक,

अरूण कुमार मिश्र
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 30 मार्च, 2015

विषय : वित्तीय वर्ष 2013-14 में आंगनवाड़ी केन्द्रों के निर्माण हेतु पी0एल0ए0 में रखी धनराशि आहरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1366/बा0वि0परि0/स0ग्रा0वि0यो0/2014-15, दिनांक 19 मार्च, 2015 के क्रम में अवगत कराना है कि आईसीडीएस योजना के अन्तर्गत आंगनवाड़ी केन्द्रों के निर्माण किये जाने के लिए शासनादेश संख्या-648/60-2-14-2/13(57)/03 टी.सी., दिनांक 30 मार्च, 2014 द्वारा स्वीकृत कर उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम के पी0एल0ए0 में रखी गयी धनराशि रूपये 160.60 करोड़ (रूपये एक अरब साठ करोड़ साठ लाख मात्र) के सापेक्ष रूपये 57.3450 करोड़ (रूपये सत्तावन करोड़ चौतीस लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि शासनादेश संख्या-1181/60-2-14-2/13(57)/03 टी.सी., दिनांक 06 जून, 2014 तथा रूपये 34.8002 करोड़ (रूपये चौंतीस करोड़ अस्सी लाख दो हजार मात्र) की धनराशि शासनादेश संख्या-1181/60-2-14-2/13(57)/03 टी.सी., दिनांक 23 फरवरी, 2015 द्वारा निर्गत की जा चुकी है।

2. उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आईसीडीएस योजना के अन्तर्गत आंगनवाड़ी केन्द्रों के निर्माण किये जाने के लिए दिनांक 30 मार्च, 2014 द्वारा स्वीकृत कर उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम के पी0एल0ए0 में रखी गयी धनराशि रूपये 160.60 करोड़ (रूपये एक अरब साठ करोड़ साठ लाख मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि में से रूपये 1260.5150 लाख (रूपये बारह करोड़ साठ लाख इक्यावन हजार पांच सौ मात्र) की धनराशि को आहरित कर संलग्न 14 जनपदों के आंगनवाड़ी केन्द्र भवनों के निर्माण कार्य पर व्यय किये जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि का आवंटन, जनपदवार निर्माण कार्य के लक्ष्य/लागत के आधार पर, जिलाधिकारियों को किया जायेगा। आहरित धनराशि को किसी भी दशा में बैंक/डाकघर में नहीं रखा जायेगा तथा उक्त धनराशि को किसी अन्य योजना/कार्यक्रम/ मद/इकाई पर व्यय नहीं किया जायेगा।

(2) स्वीकृति धनराशि का व्यय, निर्माण कार्य की अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार चयनित आंगनवाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण कार्य हेतु, निर्धारित मानकों/निर्देशों के अनुसार किया जायेगा और किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि से अधिक धनराशि व्यय नहीं की जायेगी। धनराशि को व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत निर्माण कार्य के लिए किसी अन्य योजना से धनराशि इसके पूर्व स्वीकृत नहीं की गयी है।

(3) उक्त धनराशि का प्रदेशन (एलाटमेंट)मात्र ही किसी प्रकार का व्यय करने का अधिकार प्रदान नहीं करता है। अत: बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों तथा इस सम्बन्ध में

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

समय-समय पर जारी स्थायी आदेशों के अन्तर्गत जिन मदों पर व्यय करने के लिए सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, व्यय करने से पूर्व तत्सम्बन्धी तकनीकी/प्रशासकीय स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा इसे विहित प्रक्रिया एवं नियमों के अनुसार ही व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(4) निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में वित्तीय एवं भौतिक प्रगति तथा निर्माण कार्य की गुणवत्ता की प्रत्येक माह समीक्षा की जायेगी तथा निर्माण कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्परीक्षित लेखे अवश्य प्राप्त किये जायेंगे। टाईम ओवर-रन/कास्ट ओवर-रन के सम्बन्ध में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर 212 (7) में दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि के आहरण एवं व्यय के सम्बन्ध में राज्य सरकार/वित्त विभाग द्वारा निर्धारित मानक/समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि आहरित की जायेगी।

(6) इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-2537/60-2-12-2/13(57)/03 दिनांक 17 मार्च, 2013 द्वारा निर्गत निर्देशों/दरों के अनुसार निर्माण कार्य की कार्यवाही की जाय।

(7) निर्माण कार्य के प्रगति की सूचना शासन को निदेशक, आईसीडीएस की संस्तुति सहित मासिक रूप में उपलब्ध करायी जायेगी। कार्यदायी संस्था आंगनवाड़ी केन्द्र भवनों का निर्माण अनुमोदित आगणन लागत/मानचित्र के अधीन रहते हुए ही किया जायेगा।

(8) प्रश्नगत धनराशि का उपयोग नियमानुसार किया जायेगा तथा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि निर्माण हेतु आवश्यक भूमि निर्विवाद रूप से उपलब्ध है।

(9) प्रश्नगत धनराशि का उपयोग नियमानुसार सुनिश्चित करते हुए निर्धारित मानकानुसार गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य समयबद्ध रूप से पूर्ण कराया जायेगा।

(10) आहरित धनराशि की उपयोगिता की स्थिति से यथासमय अवगत कराया जाय।

3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-ई-3-544/दस-2015, दिनांक 29 मार्च, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक – यथोपरि।

भवदीय,

(अरूण कुमार मिश्र)
विशेष सचिव

संख्या-16/2015/880(1)/60-2-2015, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रधान महालेखाकार (जनरल एण्ड सोशल सेक्टर आडिट), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम, लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ।
5. सम्बन्धित, कोषाधिकारी, उ0प्र0।
6. वित्त व्यय-नियंत्रण अनुभाग-3/वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1।
7. राज्य योजना आयोग-1।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुधा शुक्ला)
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in